

LSNJ PROTECT

ट्रैफ़िकिंग के पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता कार्यक्रम

टोल फ्री 1-844-LSNJ-PROTECT

(1-844-576-5776)

आप ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग के शिकार हो सकते हैं यदि आप:

- अपनी इच्छा के अनुसार कहीं आ-जा नहीं सकते।
- 18 या उस से कम उम्र के हैं और पैसों के बदले सेक्स उपलब्ध कराते हैं।
- अपने काम के लिए बहुत कम पैसा पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं।
- काम के दौरान ब्रेक लेने की अनुमति नहीं पाते।
- झूठे वादे पाकर किसी जॉब का ऑफर पाते हैं।
- अपने पैसों पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं।
- स्वयं अपनी बात नहीं रख सकते।
- अपना पहचान पत्र या पासपोर्ट नहीं रखते और इन्हें वापस भी नहीं पा सकते।
- खाने और सोने के बारे में आदेश पाते हैं।
- किसी के बहुत कर्ज़दार हैं और इसे चुका नहीं सकते।
- इमीग्रेशन या पुलिस विभाग में रिपोर्ट किए जाने से डरते हैं।

क्या आप ट्रैफ़िकिंग के शिकार हैं?

किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे जबरन मेहनत-मजदूरी के काम में लगाना अथवा यौन-शोषण के लिए उसका इस्तेमाल करना या उसका अवैध व्यापार, ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग कहलाता है।

LSNJ PROTECT द्वारा की जाने वाली संभावित मदद के तरीकों के लिए पीछे देखें।

क्या आप जानते हैं कि आपको निम्न अधिकार प्राप्त हैं?

- इमिग्रेशन स्टेटस के लिए आवेदन करने का
- सुरक्षा का आदेश प्राप्त करने का
- बेगार वाले काम के लिए भुगतान पाने का
- अपना आपराधिक रिकॉर्ड हटाने का
- सार्वजनिक लाभों के लिए आवेदन करने का
- यदि आप किसी अपराध के शिकार हैं, तो मुआवजा पाने का

लीगल सर्विसेस ऑफ न्यू जर्सी (Legal Services of New Jersey, LSNJ) एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो ह्यूमन ट्रेफ़िकिंग का शिकार हुए लोगों को निःशुल्क कानूनी परामर्श और प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

सभी कॉल गोपनीय होती हैं

LSNJ PROTECT

टोल फ्री 1-844-LSNJ-PROTECT

(1-844-576-5776)



किसी आपातकालीन स्थिति में कृपया 911 पर कॉल करें। NJ मानव तस्करी हॉटलाइन 1-855-END-NJ-HT

राष्ट्रीय मानव तस्करी हॉटलाइन 1-888-373-7888।